



Handwritten signature and date: 21/3/17

संदर्भ सं.एनबी.असम.एसपीडी/
XXII(112 रोड़)/164 पीएससी/2016-17

/आरआईडीएफ-

Ref.No.NB.Assam.SPD/
(112 Roads)/164 PSC/ 2016-17

/RIDF-XXII

28 मार्च 2017

28 March, 2017

The Commissioner and Secretary
Finance Department
Government of Assam
Assam Secretariat
G.S.Road, Dispur,
Guwahati - 781 006

The Commissioner and Secretary
Finance Department
Government of Assam
Assam Secretariat
G.S.Road, Dispur,
Guwahati - 781 006

Handwritten number 22 in a circle and signature below it.

महोदय

Dear Sir

आरआईडीएफ XXII के तहत 112 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की अंतरिम मंजूरी - 2016-17

Interim Sanction of 112 Rural Road Projects under RIDF XXII - 2016-17

कृपया दिनांक 01 फरवरी 2017 के अपने पत्र सं.एफईए.213/2014/131 का संदर्भ लें जिसके साथ, वर्ष 2016-17 के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि(आरआईडीएफ) - XXII खेप के तहत ऋण सहायता प्रदान करने के लिए हमारे विचारार्थ, सड़क परियोजनाओं हेतु पीडब्ल्यूडी के प्रस्तावों के समक्ष आरआईडीएफ-XXII के अंतर्गत परियोजनाओं की संशोधित सूची भेजी गई थी।

Please refer to your letter No.FEA.213/2014/131 dated 01 February, 2017 forwarding therewith Revised list of projects under RIDF-XXII against PWD's proposal for Road Projects for our consideration for providing loan assistance under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) - XXII tranche for the year 2016-17.

2. हम सहर्ष सूचित करते हैं कि हमने 112 सड़क परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय लागत रु.34661.81 लाख में से रु.30683.96 लाख(रुपये तीन सौ छः करोड़ तिरासी लाख छियानवे हजार मात्र) आरआईडीएफ ऋण मंजूर किया है। परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अनुबंध-1 में दिये गए हैं। अपितु, परियोजना की मंजूरी, मंजूरी दिनांक से एक माह के भीतर प्रशासनिक अनुमोदन(एए) प्राप्त करने के अधीन है।

2. We are pleased to inform that we have sanctioned RIDF loan of ₹ 30683.96 lakh (Rupees Three hundred Six crore Eighty-three lakh Ninety-six thousand only) out of Total Financial Outlay of ₹ 34661.81 lakh for 112 Road Projects. The details of the projects are enclosed in the Annexure-I. However, the sanction of the project is subject to obtaining the Administrative Approval (AA) within one month from the date of sanction.

3. चूंकि, प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है अतः उसे इस मंजूरी पत्र के दिनांक से एक माह के भीतर प्रदान करें ताकि हम मंजूरी के शर्तों सहित विस्तृत मंजूरी पत्र जारी कर सकें और आप इन परियोजनाओं के लिए मोबिलाइजेशन एडवांस का आहरण कर सकें। यदि मंजूरी के दिनांक से एक माह के भीतर एए

3. Since, the AA have not been accorded for the submitted projects, the same may be accorded within one month from date of this sanction letter so as to enable us to issue the Detailed Sanction Letter with the terms and conditions of sanction and enable you to draw the mobilisation advance for these projects.

[1]

प्राप्त नहीं होता है तो इस स्थिति में मंजूरी व्यपगत हो जाएगा और राज्य सरकार को नए प्रस्तावों के रूप में एए के साथ परियोजनाओं को प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा प्रस्तुत सभी परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही आपको मंजूरी पत्र जारी किये जाएंगे।

4. संलग्न अनुबंध-1 में दिये गए विस्तृत विवरण के अनुसार परियोजनाओं को दिनांक 24 मार्च 2017 को आयोजित 164वां परियोजना स्वीकृति समिति(पीएससी) में अनुमोदित किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, आरआईडीएफ ऋण पर ब्याज दर को बैंक दर से संबद्ध किये गए हैं और वर्तमान में ब्याज दर को ऋण संवितरण दिनांक को लागू बैंक दर से 1.50% कम पर निर्धारित किया गया है। आरबीआई द्वारा समय समय पर बैंक दर निर्धारित किया जाता है अतः यह एक अस्थायी दर है। अतः बैंक दर में बदलाव के अनुसार आरआईडीएफ ऋण पर ब्याज दर में परिवर्तन होगा।

5. कृपया पावती दें।

भवदीया

हो

(राजश्री के बरुआ)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: अनुबंध-1

If the AA is not received within one month from the date of sanction, the sanction will lapse and the State Govt. would have to submit the projects as fresh proposals along with AA. The detailed sanction letter will follow after the receipt of AA by us for all the projects submitted by you.

4. Projects as detailed in Annexure-I enclosed was approved in the 164th Project Sanctioning Committee (PSC) meeting held on 24 March 2017. As you are aware, the rate of interest on RIDF loan has been linked to Bank Rate and presently it is fixed at 1.50% below the Bank Rate applicable as on the date of disbursement of the loan. Bank Rate is decided by RBI from time to time and so it is a floating rate. Therefore, the interest rate on RIDF loan would vary as per the changes made in the Bank Rate.

5. Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Sd/-
(Rajashree K. Baruah)
Chief General Manager

Encl: Annexure-I

परांकन सं. एनबी.असम.एसपीडी/ /आरआईडीएफ-
XXII(112 रोड)/164 पीएससी/2016-17 तददिनांक

Endt No.NB.Assam.SPD/ 8015 /RIDF-XXII (112
Roads)/164 PSC/ 2016-17 of date.

प्रति, अनुबंध सहित, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
निम्नलिखित को प्रेषित :

Copy, together with Annexure, is forwarded for
information and necessary action to :

क. राज्य सरकार

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयोजना एवं विकास
विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय,
जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781 006
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, असम सरकार, असम
सचिवालय, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781 006
3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, असम
सरकार, चांदमारी, गुवाहाटी-781003.

ख. नाबार्ड

- i. मुख्य महाप्रबंधक, एसपीडी, नाबार्ड, एचओ, मुंबई
- ii. डीडीएम / डीडीओ, नाबार्ड, असम.



(अनिल कुमार यादव)
सहायक महाप्रबंधक


संलग्नक: अनुबंध-I

A. State Government

- 1 The Addl. Chief Secretary, Planning & Development
Department, Government of Assam, Assam
Secretariat, G. S. Road, Dispur, Guwahati-781 006
- 2 The Secretary, Public Works Department,
Government of Assam, Assam Secretariat, G.S.
Road, Dispur, Guwahati-781006
- ✓ 3 The Chief Engineer, Public Works Department,
Government of Assam, Chandmari, Guwahati-
781003.

B. NABARD

1. The Chief General Manager, SPD, NABARD, HO,
Mumbai
2. DDMs / DDOs, NABARD, Assam.



(Anil Kumar Yadav)
Asst. General Manager

Encl: Annexure-I